

एक नजर में

राष्ट्र का गौरव उसके तिरंगे में और समाज की शक्ति में



इंदौर . जेल प्रशासन एवं तहसील विधिक सेवा समिति, देपालपुर के संयुक्त तत्वावधान में को उपजेल देपालपुर में राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस एवं विश्व मस्तिष्क दिवस के अवसर पर एक प्रेरणादायी जनचेतना शिविर का आयोजन किया गया . कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष -जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ल खान ने राष्‍ट्रभक्ति, संवैधानिक मूल्यों, मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य एवं मानवीय संवेदनाओं पर सारगर्भित उद्‍घोषन देते हुए कहा कि राष्‍ट्र का गौरव उसके तिरंगे में और समाज की शक्ति उसके जागरूक एवं स्‍वस्‍थ्‍ मस्‍तिष्‍क में निहित होती है. राष्‍ट्रीय ध्वज करौड़ों भारतीयों के र्‍याग, बलिदान, संविधान के आदर्शों, राष्‍ट्रीय एकाता और अखंडता का जीवंत प्रतीक है। प्रत्येक नागरिक का दायित्‍व है कि वह तिरंगे के सम्‍मान के साथ- साथ संविधान के मूल्यों को भी अपने आचरण में उतारे. कार्यक्रम के दौरान सहायक जेल अधीक्षक आर .एस . कुशवाह के स्‍थानांतरण विदाई अवसर पर सम्‍मान समारोह आयोजित किया गया. सहायक जेल अधीक्षक आर एस कुशवाह ने अपने कार्यकाल के अनुभव साझा करते हुए सभी के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया. उक्त अवसर पर नवामृत सहायक जेल अधीक्षक सुधीर सिंगरौली,प्रमुख मुख्‍य प्रहरी रामेश्‍वर झण्णिया, मुख्‍य प्रहरी संतोष देविलिया, लोकेंद्र सिंह, नाना अरइ, सहित संपूर्ण जेल स्‍टाफ उपस्थित रहा.

दादू महाराज संस्‍थान का गुरु पूर्णिमा उत्‍सव गांधी हॉल में

इंदौर . डॉं दादू महाराज संस्‍थान के तत्‍वावधान में आगामी 29 जुलाई, बुधवार को गांधी हॉल में गुरु पूर्णिमा उत्‍सव का आयोजन किया जा रहा है. इस धर्म धार्मिक और सामाजिक समागम में मध्‍य प्रदेश के इंदौर, उज्‍जैन, देवास, भीपाल सहित महाराष्‍ट्र और राजस्‍थान जैसे अन्‍य राज्‍यों से भी बड़ी संख्‍या में श्रद्धालु और शिष्‍य शामिल होंगे. कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर व्‍यापक स्‍तर पर रूपरखा तैयार की जा रही है. संस्‍थान से जुड़े मनोज हाडिया ने कार्यक्रम की विस्‍तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर संस्‍थान द्वारा कई महत्‍वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक संकल्‍प लिए जाएंगे . गांधी हॉल में आयोजित होने वाला यह उत्‍सव सुबह से लेकर देर रात तक विभिन्‍न सत्रों में संपन्‍न होगा . कार्यक्रम का संचालन अल्‍का सैनी एवं विजय अंबेकर द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा .

संस्‍कृति संवर्धन के बिना देश समृद्ध नहीं हो सकता



इंदौर .पेट की तरह आत्मा को भी भूख लगती है. भोजन से तो पेट की भूख भिट जाती है लेकिन आत्मा की भूख भजन, सत्संग और कथा श्रवण से ही भिटोती। भारत संस्कारों की भूमि है. हम जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कारों और मर्यादाओं में बंधे हुए हैं. विवाह भी एक संस्कार है. पश्चिमी संस्कृति में विवाह अनुबंध या सौदा होता है, लेकिन भारत में यह सात जन्मों का रिश्ता माना जाता है. संस्कृति के संवर्धन के बिना कोई देश, समाज या परिवार समृद्ध नहीं हो सकता. ये विचार हैं वृन्दावन के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती के, जो उन्होंने गीता भवन में भक्त मंडल एवं अखंड प्रणव योग वेदांत पारमार्थिक न्यास के तत्वावधान में चला रहे भागवत ज्ञान यज्ञ में रुक्मणी विवाह एवं सुदामा चरित्र प्रसंग की व्याख्या के दौरान व्यक्त किए . कथा में रुक्मणी विवाह का उत्सव पूरे जोशी एवं उत्साह से मनाया गया . प्रारम्भ में भक्त मंडल की ओर से बसंतीलाल गोयल, लीला राजेश अग्रवाल, रश्मि रामनानी, माधुरी मुद्गुला शाहवा, योगेश शुक्ल, कमल राठी, रामवती गुप्ता, राजेंद्र माहेश्वरी आदि ने व्यास पीठ का पूजन किया . विद्वान वक्ता की अगुवानी मनोज गुप्ता, सुनील तिवारी, संतोष पारशर, आनंद चौक्से आदि ने की. श्वर शर्मा ने बताया कि प्रवचन में जीवन में धर्म, कर्म और सत्य के महत्व को समझाया गया तथा लोगों को गीता के सिद्धांतों को अपनाने की प्रेरणा दी गई.

चातुर्मास का महत्व बताया



इंदौर . महावीर भवन की धर्मसभा में महासती महाप्रज्ञा महाराज ने सुंदर भजन के माध्यम से धर्मसभा की संबोधित करते हुए चातुर्मास का महत्व बताया . महासती कुमुदलता महाराज ने चातुर्मास संमेल प्रवेश में आने का अनुरोध किया . आपने चातुर्मास प्रवेश में शामिल होने का महत्व बताते हुए कहा कि जो भी साधु साध्वी चातुर्मास करते है और चार महीने जाप, तप, धर्म आराधना करते है उसका पुण्य चातुर्मास प्रवेश करवाने वालो को मिलता है इसलिये यह अवसर किसी की भी छोड़ना नहीं चाहिए . आपने कहा सकल संघ को प्रातः 7 बजे महावीर भवन ईमली बाजार से प्रारंभ हो कर नरसिंय वाटिका पर पहुंचने वाले मंगल जुलूस में अग्रथ आएं . मंगल प्रवेश जुलूस की तैयारियां महावीर भवन श्रावक संघ ट्रस्ट के तत्वावधान में की जा रही हैं. आयोजन में प्रमुख रूप से डीपीन जैन, अचल चौधरी, रमेश भण्डारी, प्रकाश भट्टेरा, जिनेश्वर जैन, हेमन्त बोहरा, राजकुमार जैन, रितेश कटकानी, गजेन्द्र बोड़ाना, अभय झेलावत, अशोक मंडलिक, रवींद्रल संजैती, गवित बोड़ाना, रेणु जैन, रेखा जैन, पुष्पा झगरिया आदि सक्रिय सहयोग कर रहे हैं. संघ के महामंत्री रमेश भण्डारी ने सभी से अपील की है कि अधिक से अधिक मंगल जुलूस में सम्मिलित हो. मुख्य संयोजक प्रकाश भट्टेरा संचालन किया. कोडिनेटर जिनेश्वर जैन ने अतिथियों के स्वागत का संचालन किया .

नगर में आज

गोर्जिचस हेलन प्रोग्राम

समय- 6.45 बजे, स्थान- प्रीतमलाम दुआ सभागृह

सदाबहार मुकेश

समय- 7.25 बजे, स्थान- जाल सभागृह

राजा रघुवंशी हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को सरेंडर

की दी सलाह, 23 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

नव भारत न्यूज

इंदौर. चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने सोनम के वकील के सामने दो विकल्प रखे हैं. कोर्ट ने कहा कि या तो वह मेघालय सरकार की याचिका पर दलीलों सुनकर फैसला कर सकता है या फिर सोनम पहले आत्मसमर्पण करे, ताकि जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर सकें और जमानत के मुद्दे पर भी विचार किया जा सके.

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीवी वराले की पीठ ने सुनवाई के दौरान सोनम के घटनाक्रम के बाद के व्यवहार और गिरफ्तारी से जुड़े कानूनी पहलुओं पर भी सवाल उठाए. अदालत ने पूछा कि गिरफ्तारी के समय



कारण नहीं बताए जाने का मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया. इस पर सोनम की ओर से पेश वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है. मेघालय सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सोनम ने खुद पुलिस के सामने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया था. ऐसे में गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाकर राहत मांगना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी मेमो में यदि

कोई कमी है तो वह केवल लिपिकीय त्रुटि है, जिसके आधार पर गिरफ्तारी को अवैध नहीं ठहराया जा सकता. सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी के कारण अलग से बताने की जरूरत नहीं होती. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं पुलिस के सामने उपस्थित होता है, वह बाद में गिरफ्तारी प्रक्रिया से जुड़े तकनीकी आधारों का सहारा नहीं ले सकता. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत भी दिए कि वह इस कानूनी सवाल को बड़ी पीठ के पास भेजने पर विचार कर सकता है कि गिरफ्तारी मेमो में केवल टाइपिंग या तकनीकी गलती होने से क्या गिरफ्तारी अवैध मानी जा सकती है और क्या आरोपी को इसका लाभ दिया जा सकता है. अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।

डीएवीवी का नाम और लोगो का फर्जी इस्तेमाल, पुलिस में शिकायत के निर्देश

नवभारत न्यूज

इंदौर. देवी अहिंत्‍या विश्‍वविद्यालय डीएवीवी के नाम और आधिकारिक लोगो का बिना अनुमति सोशल मीडिया, विशेष रूप से इंस्‍टाग्राम पर उपयोग किए जाने का मामला सामने आया है. जानकारी मिलने के बाद विश्‍वविद्यालय प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है.

विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रज्वल खरे ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा बिना किसी वैधानिक अधिकार के विश्वविद्यालय के नाम और लोगो का उपयोग कर इंस्टाग्राम पर कई पेज संचालित किए जा रहे हैं. इससे विश्वविद्यालय की छवि और

कार्यप्रणाली प्रभावित होने की आशंका है. उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था के नाम और लोगो का बिना अनुमति उपयोग करना गैरकानूनी है. ऐसे मामलों को रोकने और विश्वविद्यालय की साख बनाए रखने के लिए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं.

शिकायत के आधार पर जल्द ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल अधिकृत माध्यमों से जारी की गई जानकारी को ही आधिकारिक माना जाए तथा छात्रों और आमजन से अपील की है कि वे विश्वविद्यालय से संबंधित जानकारी केवल उसके अधिकृत प्लेटफॉर्म से ही प्राप्त करें.

नीट पेपर लीक मामले को लेकर इंदौर में छात्रों का आंदोलन तेज

नवभारत न्यूज

इंदौर. भंवरकुआं स्थित टंट्या भील चौराहे पर नीट पेपर लीक मामले और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है. दिल्ली में हुए छात्र प्रदर्शन और सोनम वांगचुक पर कार्रवाई के विरोध के बाद इंदौर में भी बड़ी संख्या में छात्र, और आम नागरिक धरने में शामिल हो रहे हैं.

प्रदर्शनकारी छात्रों ने नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और एनटीए, एमपीीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई है. और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव की मांग की गई. छात्र मोलवार रातभर चौकड़े पर डटे रहे. बारिश और खातब मौसम



के बावजूद प्रदर्शन जारी रहा. स्थानीय लोगों, ड्राइवरों और डिलीवरी कर्मचारियों ने भी छात्रों का समर्थन किया. सामाजिक संस्थाओं की ओर से रात में आंदोलनकारियों के लिए खिचड़ी की व्यवस्था की गई, जिसे सैकड़ों छात्रों ने ग्रहण किया.

पुलिस रही मौजूद

प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस भी मौजूद रही. वहीं, छात्रों के लिए टेंट लगाने पहुंची एक गाड़ी कुछ समय बाद वापस लौट गई, हालांकि इसके कारणों की जानकारी नहीं मिल सकी. छात्र अपनी मांगों पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं.

डेली कॉलेज ने लगातार दूसरी बार जीती आईपीएससी अंडर- 19 शतरंज चैंपियनशिप

इंदौर. डेली कॉलेज इंदौर के शतरंज खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की है. ऑल इंडिया आईपीएससी अंडर- 19 चेस चैंपियनशिप 2026 में डेली कॉलेज की टीम ने लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर टीम चैंपियनशिप अपने नाम कर ली. वहीं, टीम के कप्तान ऋषभ कुमार ने व्यक्तिगत वर्ग में लगातार चौथी बार राष्ट्रीय खिताब जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया.

एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल की मेजबानी में हुई प्रतियोगिता में डेली कॉलेज की टीम ने अपने सभी मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया. टीम ने मेयो कॉलेज राजस्थान, यादविंद्रा पब्लिक स्कूल पंजाब, डीपीएस मथुरा रोड दिल्ली और मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली को हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया.

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ऋषभ कुमार ने टीम का नेतृत्व करते हुए सभी चार मुकाबलों में जीत दर्ज की. उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 7 राउंड में 6.5 अंक हासिल किए और पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहे. इस जीत के साथ वे लगातार चौथी बार एसजीएफआई राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए आईपीएससी अंडर- 19 टीम के कप्तान चुने गए हैं. व्यक्तिगत मुकाबलों में ऋषभ ने डीपीएस आरके पुरम, नई दिल्ली के खिलाड़ियों सहित कई शीर्ष खिलाड़ियों को मात दी. उनका एकमात्र मुकाबला डेली कॉलेज के साथी खिलाड़ी मोहम्मद

ऋषभ कुमार का लगातार चौथा व्यक्तिगत खिताब



अशाज अहमद के साथ ड़ां रहा. टीम की इस सफलता में मोहम्मद अशाज अहमद और समन्वय शुक्ला ने 2.5- 2.5 अंक का योगदान दिया, जबकि रणवीर भाटिया ने भी टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. डेली कॉलेज की प्राचार्या डॉ. गुनमोत बिंद्रा ने खिलाड़ियों और कोच सुनील सोनी को इस उपलब्धि पर बधाई दी. उन्होंने उम्मीद जताई कि टीम आगामी एसजीएफआई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी. डेली कॉलेज की इस उपलब्धि से इंदौर सहित पूरे मध्यप्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है.

परामर्श पर मरीजों को तीन गुना स्वास्थ्य लाभ



इंदौर . चोइथराम हॉस्पिटल द्वारा अपनी 47 वें स्थापना दिवस पर मरीजों के लिए विशेष सेवाएँ प्रस्तुत की जा रही है . हॉस्पिटल और वित्‍निक पर डॉक्टर परामर्श हेतु आने वाले मरीजों को नौ सौ रुपए अदा करने पर 3 गुना स्‍वास्‍थ्‍य लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलेगा. अर्थात् उहें नौ रुपए पर 27 सौ रुपए की सेवाएँ मिलेंगी. इस बारे में बताते हुए हॉस्पिटल के सीएफओ रोहित झंवर ने बताया कि पेशेंट्स को उनके अदा की गई राशि का अधिक लाभ हो यही सच्ची वैरिटी है. मॉडर्न हॉस्पिटल सोल्यूशंस में डॉक्टर परामर्श का सबसे

महत्वपूर्ण पक्ष है सुपर स्पेशलिटी. इस सुविधा से मरीजों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क कौंसलसेटिंगमिलसकेंगे। यही दूसरा पक्ष है इन्वर्स्टिगेशंस. मरीज उस वाउचर का इस्तेमाल इन्वेस्टिगेशन में कर सकते हैं. दूसरा वाउचर मरीजों को एडमिशन के समय एक्स्ट्रा बेंचिफिट देता है. हॉस्पिटल के डीडीएचएस अनिल लखवानी ने कहा कि चोइथराम हॉस्पिटल का नाम सेवा के लिए जाना जाता है. मरीजों को ना सिर्फ सहीत्यत हो बल्कि उनके किए गए खर्च से अधिकतम लाभ मिले यही हमारा उद्देश्य है.

सरकारी जमीन और नाले से प्रशासन में अतिक्रमण हटाया



इंदौर . आज जिला प्रशासन ने जूनी इंदौर तहसील के ग्राम मुंडलानायता में सरकारी जमीन एवं नाले से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. कार्रवाई में ग्राम मुंडलानायता की सरकारी जमीन सर्वे क्रमांक 28, रकबा 0.560 हेक्टेयर पर अतिक्रमण किया गया था . आज प्रशासन के राजस्व विभाग, नगर निगम एवं पुलिस के संयुक्त दल ने मौके से टीन शेट, बाड़ड़ी वॉल तथा अन्य अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई कर जमीन अतिक्रमण को मुक्त कराई .

राहुल, प्रियंका की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का धरना



लोकसभा के नेता राहुल गांधी एवं सांसद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के आवास पर धरना शुरू किया था. शाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर छत्रपाल स्टेडियम में बंद कर दिया. नेता

प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के विरोध में शहर कांग्रेस ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया. शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौक्से ने घोषणा की कि जब

कल्याण ज्वेलर्स पर एक लाख का जुर्माना

नव भारत न्यूज

इंदौर. नगर निगम द्वारा इन दिनों रेन वॉटर हार्वैस्टिंग सिस्टम लगाने की मुहिम चलाई जा रही है. इसी कड़ी में बड़े व्यापारिक संस्थान और भवनों पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जारी है. आज नगर निगम ने एमजी रोड पर कल्याण ज्वेलर्स पर एक लाख का जुर्माना लगाया.

नगर निगम द्वारा रेन वाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए 35 हजार नोटिस एवं सूचना पत्र जारी किए गए हैं. नगर निगम द्वारा शहर के बड़े व्यावसायिक भवनों, मॉल और प्रतिष्ठानों में रेन वॉटर हार्वैस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है. इसको लेकर निगम के झोनल कार्यालयों से अपने इलाकों में रेन

वॉटर हार्वैस्टिंग सिस्टम लगाने के पत्र देखाफ समय सीमा दी गई थी. नगर निगम द्वारा समय सीमा खत्म होने पर रेन वॉटर हार्वैस्टिंग सिस्टम को लेकर आज कार्रवाई की गई. एमजी रोड पर नगर निगम झोनल अधिकारी प्रभात तिवारी और निगम के दल ने कल्याण ज्वेलर्स पर रेन वॉटर हार्वैस्टिंग सिस्टम नहीं लगाने पर एक लाख

रुपए का जुर्माना लगाया. जुर्माने के नोटिस जारी किए थे: झोनल अधिकारी तिवारी ने कहा कि शहर में सभी व्यावसायिक भवनों और प्रतिष्ठानों को एक महीने पहले सूचना पत्र और नोटिस दिए गए थे. इसके बावजूद वॉटर रिचार्जिंग सिस्टम नहीं लगाने पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई.

इंदौर में दूध व दुग्ध उत्पादों की जांच, 9 प्रतिष्ठानों से 37 सैंपल लिए

नवभारत न्यूज

इंदौर. खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए इंदौर में विशेष अभियान के तहत इंदौर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने दो दिनों में 9 डेयरी एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर दूध और दुग्ध उत्पादों के 37 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए. इनमें तीन प्रतिष्ठानों पर मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब एमएफटीएल से मौके पर प्रारंभिक जांच भी की गई. कलेक्टर शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में 20 और 21 जुलाई को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विभिन्न डेयरी और मिठाई

प्रतिष्ठानों की जांच की. मदनी दूध डेयरी एंड स्वीट्स से दूध, पनीर, घी, दही, मलाई बर्फी और मिल्क केक के छह नमूने लिए गए. निरीक्षण में रेफ्रिजरेटर की सफाई संतोषजनक नहीं मिलने पर संचालक को सुधार के निर्देश दिए गए. सांत्विया दूध भंडार से दूध और दही के नमूने लिए गए शिवशक्ति मिल्क एंड स्वीट्स सेंटर, अंबे डेयरी एंड स्वीट्स और श्री कृष्ण दूध-दही भंडार सहित अन्य प्रतिष्ठानों से दूध, दही, पनीर, मावा, घी, मिठाई और नमकीन के नमूने जांच के लिए लिए गए.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस : केआरएम टॉवरB, 8वां तल, हेरिगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई- 600031

फ़ोन : +91 44 4564 4000, फ़ैक्स : +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में शकल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनबीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिफ के अनुसार किया गया है, जो विषय रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियाँ और आये ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा .

क्र.सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेखन 13 (2) नोटिस तिथि	सेखन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	60014416	संपत्ति के विरुद्ध ऋण	11-जुलाई-2026	रु. 2,60,476.86/-

केनवार और सह-देनवारों का नाम:- 1. मुस्तकीम हामिद 2. शमीम बी

संपत्ति का पता : संपत्ति का प्ल प्लू टुकडू और पार्सल क्षेत्रफल 48 × 47 = 2256 वर्ग फुट, खसरा/खसैखन संख्या 186, पीपल नंबर 131 पर स्थित ग्राम और ग्राम पंचायत - बिक्रद, तहसील और जिला - धार, मध्य प्रदेश -454010, और इसकी सीमाएं- पूरब- रजक खा का मकान, पश्चिम- भरत का मकान, उत्तर - मुकेश पटेल की खुली जमीन, दक्षिण - मुख्य सड़क

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकारान की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है. अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एक्सएरएक्चूटिवआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ करने के लिए बाध्य होगा पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पड़े या अन्याय के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है .

एखडी /- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक : 22.7.2026

स्थान : मध्यप्रदेश

